

Eastern Railway
(Personnel Department)
17 N. S. Road, Kolkata - 700 001

Serial Circular No.13/2023

No. E.1023/0/Pt.X

Kolkata, Dated: 17/01/2023

All Concerned

(as per standard list)

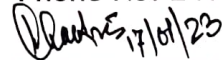
**Sub: Clarification regarding instructions on the exemption from
passing typing test.**

A copy of Ministry of Railways (Railway Board) letter no. E(NG)I-2022/CFP/13, dated 11/01/2023 (RBE No. 09/2023) on the above cited subject is circulated herewith for information and further necessary action. Board's earlier letters dated 07/04/2000, dated 16/01/2017 and dated 07/04/2022 mentioned therein were circulated under this office serial nos. 52/2000, 09/2017 and 61/2022 respectively. DoP&T's OMs dated 29/09/92 and 22/04/2015, as referred to, were circulated alongwith this office serial no. 09/2017.

DA: As above.

 17.1.2023

(Dharmendra Weekey)
Dy. Chief Personnel Officer/HQ
For Pr. Chief Personnel Officer
Phone No. 24106(Rly.)

 17/01/23

Index No. 1060: Procedure for conducting Typewriting Test - reg.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

New Delhi, dated 11.01.2023

No. E(NG)I-2022/CFP/13

The General Managers (P),
All Zonal Railways & Production Units, etc.
(As per standard list)

Sub: Clarification regarding instructions on the exemption from passing typing test.

- Ref:**i) Board's letter No.E(NG)I-96/CFP/19 dated 07.04.2000.
ii) Board's letters No.E(NG)I-2015/CFP/7 dated 16.01.2017 and 07.04.2022.
iii) DOP&T's OM No.14020/2/91-Esstt.(D) dated 29.09.1992.
iv) DOP&T's OM No.14020/1/2014-Esstt.(D) dated 22.04.2015.

As the Railway administrations are aware, Railway Board's instructions dated 07.04.2000 (RBE 66/2000) inter alia provided for three chances being given in two years' time to employees who are promoted from erstwhile Group 'D' to Group 'C' against the 33¹/₃% quota, and from Jr. Clerk to Sr. Clerk against the 13¹/₃% quota otherwise they were to be reverted. The provision of reversion has been done away with vide Board's instructions contained in letter no. E(NG)I-2015/CFP/7 dated 07.04.2022 citing adoption of DoPT's instructions contained in O.M. dated 22.04.2015 wherein exemption from passing the type test in certain conditions have been provided.

2. Doubts have been raised by one of the PUs as to whether the candidates who do not pass the type test in a period of 2 years should continue to be given further chances for up to 8 years till they clear the type test, or after 3 chances in 02 years, they should wait for the fulfilment of exemption criteria for increment etc. The matter has been examined and the competent authority has decided that in terms of para 2.(2) (c) of the DoPT OM 29.09.1992 adopted vide this office letter under ref. (ii) dated 16.01.2017, 2 genuine attempts may be allowed in the normal course and further attempts shall be allowed for valid reasons with the personal approval of General Manager.

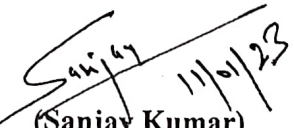
3. On the question of grant of increments to such staff who are to appear in the type test, attention is drawn to Para 6 of DoPT OM 29.09.1992.

4. This disposes of RCF's letter no.2021-E/P/Mins/Typing Test dated 04.05.2022.

The Hindi version will follow

Please acknowledge receipt.

Encl: Nil.


(Sanjay Kumar)
Deputy Director Estt.(N)
Railway Board
Tele No. 23303658

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

नई दिल्ली, दिनांक 11.01.2023

सं. ई(एनजी)I-2022/सीएफपी/13

महाप्रबंधक (कार्मिक),

सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, आदि।

(मानक सूची के अनुसार)

विषय: टंकण परीक्षा पास करने से छूट पर अनुदेशों से संबंधित स्पष्टीकरण।

संदर्भ: i) बोर्ड का दिनांक 07.04.2000 का पत्र सं.ई(एनजी)I-96/सीएफपी/19.

ii) बोर्ड का दिनांक 16.01.2017 और 07.04.2022 का पत्र सं. ई(एनजी)I-2015/सीएफपी/7.

iii) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 29.09.1992 का का.ज्ञा. सं.14020/2/91-एस्टे.(डी).

iv) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 22.04.2015 का का.ज्ञा. सं.14020/1/2014-एस्टे.(डी).

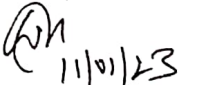
जैसा कि रेल प्रशासन को ज्ञात है, रेलवे बोर्ड के दिनांक 07.04.2000 के अनुदेशों (आरबीई 66/2000) में अन्य बातों के साथ-साथ $33\frac{1}{3}$ % कोटे के तहत पूर्व ग्रुप 'डी' से ग्रुप 'सी' में और $13\frac{1}{3}$ % कोटे के तहत जूनियर क्लर्क से सीनियर क्लर्क में पदोन्नत कर्मचारियों को दो वर्ष की अवधि में तीन अवसर प्रदान किए गए थे अन्यथा उन्हें प्रत्यावर्तित किया जाना था। बोर्ड के दिनांक 07.04.2022 के पत्र सं. ई(एनजी)I-2015/सीएफपी/7 में अंतर्विष्ट अनुदेशों जिसमें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22.04.2015 के कार्यालय ज्ञापन जिसमें कुछ परिस्थितियों में टंकण परीक्षा पास करने में छूट दी गई है, को अपनाने का हवाला दिया गया है, के द्वारा प्रत्यावर्तन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।

2. एक उत्पादन इकाई द्वारा शंकाएँ व्यक्त की गई हैं कि क्या उम्मीदवारों जिन्होंने 2 वर्ष की अवधि में टंकण परीक्षा पास नहीं की है उन्हें आगे 8 वर्षों जब तक वे टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते हैं, अवसर दिए जाते रहेंगे अथवा 2 वर्षों में 3 अवसरों के बाद उन्हें वेतन-वृद्धि आदि के लिए छूट के मानदंड को पूरा करने की प्रतीक्षा करनी होगी। इस मामले की जांच की गई है और सक्षम प्राधिकारी ने यह विनिश्चय किया है कि इस कार्यालय के दिनांक 16.01.2017 के संदर्भाधीन पत्र (ii) के तहत अपनाए गए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.09.1992 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2.(2) (ग) के अनुसार सामान्य तौर पर 2 वास्तविक अवसरों की अनुमति प्रदान की जाए और आगे के अवसरों के लिए महाप्रबंधक के व्यक्तिगत अनुमोदन के साथ वैध कारणों के लिए ही अनुमति दी जाए।

3. ऐसे कर्मचारियों जिन्हें टंकण परीक्षा में भाग लेना है, को वेतन वृद्धियाँ प्रदान करने के प्रश्न पर आपका ध्यान कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के दिनांक 29.09.1992 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 6 की ओर आकृष्ट किया जाता है।

4. इससे आरसीएफ के दिनांक 04.05.2022 के पत्र सं.2021-ई/पी/मीन्स/टाइपिंग टेस्ट का निपटान हो जाता है।
कृपया पावती दें।

संलग्नक: रिक्त


(संजय कुमार)

उप निदेशक स्थापना (एन)
रेलवे बोर्ड
टेली सं. 23303658

सं. ई(एनजी)I-2022/सीएफपी/13

नई दिल्ली, दिनांक 11.01.2023

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
3. विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य एवं सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोज़शाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ, कमरा नं.256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
5. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (05 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
6. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' इम्प्लाइज एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी आफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. मुख्य रेल सुरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
12. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया, एससी एंड एसटी रेलवे इम्प्लाइज एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।



कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औद्योगिक अनुसंधान) / रेलवे बोर्ड
